शुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

<u>प्रथम अपील संख्या 134/2019</u>

श्री नरेन्द्र बोहरा,
S/o श्री पारस मल बोहरा,
C/o श्री बालाजी फार्मा कबुतर चौक,
वल्लभनगर, 313601,
उदयपुर (राज.)
मो0.–8003249277, 8209125887 **अपीलार्थी**

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर **प्रत्यर्थी**

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 26.11.2019
अपील में निर्णय की दिनांक 25.01.2020

निर्णय

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक F(1072)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2019/273 दिनांक 05.11.2019 द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर/सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2019 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1072)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2019/273 दिनांक 05.11.2019 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 05.11.2019 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना के बिन्दु	पृष्ठों की गणना एवं देय शुल्क
1.	विश्वविद्यालश (राजुवास) के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानियॉं को राज्य सरकार राजस्थान के द्वारा आवंटित भूमि के अलावा जो महाविद्यालय के द्वारा 211 बीघा 04 बिस्वा भूमि कौन–2 से पटवार क्षेत्र से कौन–2 से वर्ष में महाविद्यालय के किस–2 अधिकारी के द्वारा किन–2 व्यक्तियों से कितनी भूमि क्रय (खरीदी) गई है। उन समस्त विक्रय पत्रों की तथा राज्य सरकार से आवंटित कराई गई भूमि के नक्शा, ट्रेस और विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि।	वांछित सूचना के संबंध में 01 पृष्ठ होता है।
2.	महाविद्यालय को आवंटित भूमि में से महाविद्यालय के द्वारा नवानियॉं खसरा संख्या 22/01 की 178 बीघा, जोरजी का खेड़ा की खसरा संख्या 124 की 940 बीघा 09 बिस्वा और रणछोड़पुरा की 399/01 खसरा संख्या 150 बीघा 16 बिस्वा में से जो मिट्टी खनन की गई वो किस नियमानुसार की गई और यदि यह मिट्टी खनन विभाग की अनुमति से खनन की है तो खनन विभाग के अनापति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।	वांछित सूचना के संबंध में 04 पृष्ठ होतें है।

Contd.

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्र दिनांक 05.11.2019 द्वारा प्रदत्त सूचना/प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–134/19)VCS/RAJUVAS/RTI/2019/332 दिनांक 26.12.2019 एवं 20.01.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 25.01.2020 को अपीलार्थी अनुउपस्थित रहा लेकिन अपने पत्र 02.01.2020 द्वारा सही व स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र दिनांक 05.11.2019 के द्वारा 05 पृष्ठो के एवज में रू 10/– अतिरिक्त शुल्क मांगते हुऐ 05 पृष्ठ जो दिये जाने थे अग्रिम रूप से पत्र दिनांक 05.11.2019 के संलग्न प्रेषित कर दिये गये। लोक सूचना अधिकारी ने यह भी अवगत करवाया कि आवेदक से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कई आवेदन पत्र एक ही प्रकार की सूचना प्राप्ति हेतू प्राप्त हुऐ है। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 05.11.2019 के द्वारा वांछित सूचना के 05 पृष्ठ निःशुल्क दिये जा चुके है। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन् किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को पत्र दिनांक 05.11.2019 से प्रत्युत्तर/सूचना प्रदान की जा चुकी है तथा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निस्तारण में संपादित की गई कार्यवाही उचित है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नही है अतः अपील अपीलार्थी उक्त तथ्यों व आधारों पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

P/c Attested

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर

25/1/2020

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर